संख्या-971/2017/2240/22-2-2017-17(92)/2005

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 29 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री शरीफ, निवासी जनपद-उन्नाव की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-32186/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-7-2017 दिनांक 05.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 05.09.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ. में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी हबीब पुत्र श्री शरीफ, निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद-उन्नाव का रहने वाला है। बन्दी द्वारा अनैतिक सम्बन्धों के विवाद को लेकर घटना दिनांक दिनांक 29/30.09.1976 को 05 अन्य सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बन्दूक, लाठी, बांका व पिस्तौल से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर अपराध कारित किया गया है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-294/1978 में भा0द0वि0 की धारा-148, 323/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उन्नाव के आदेश दिनांक 20.11.1979 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 08.08.1995 द्वारा यथावत् रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 19.09.2016 तक 20 वर्ष 10 माह 18 दिन की अपरिहार एवं 27 वर्ष 10 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु लगभग 55 वर्ष है। जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की उम्र, कारित अपराध की प्रकृति तथा जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी हबीब (बन्दी संख्या-9027) पुत्र श्री शरीफ, निवासी-जनपद-उन्नाव की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-971/2017/2240/(1)/22-2-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, उन्नाव।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ.।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in